संख्या– 474/आठ–1–24–34बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक03 जुलाई, 2024**

विषय:– वर्ष 2024–25 के पौधरोपण लक्ष्यों का निर्धारण एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौधें उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–313/81–5–2024 दिनांक 24.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क दिये जाने वाले पौधों का विवरण/लेखा–जोखा एवं अलग पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाय तथा रोपित किये जाने वाले पौधों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित कर नियमों/मानकों के अनुसार उनकी जीवितता सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– वर्ष 2024–25 में विभागीय वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारण सम्बंधी शासन के पत्र संख्या–468/आठ–1–24–34बैठक/2017 टीसी दिनांक 01.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र दिनांक 12.06.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अभिकरणवार निर्धारित पौधरोपण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गयी है। अभिकरणवार निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किया गया है:–

क्र.सं.	अभिरण का नाम	वर्ष 2024–25 में पौधरोपण हेतु लक्ष्य
1.	आवास विकास परिषद	100000
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	100000
3.	कानपुर विकास प्राधिकरण	100000
4.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	130000
5.	आगरा विकास प्राधिकरण	40000
6.	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	40000
7.	मेरठ विकास प्राधिकरण	45000
8.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	30000
9.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	10000
10.	बरेली विकास प्राधिकरण	20000

11.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	20000
12.	अयोध्या विकास प्राधिकरण	10000
13.	झांसी विकास प्राधिकरण	35000
14.	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	20000
15.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	15000
16.	बांदा विकास प्राधिकरण	15000
17.	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	30000
18.	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	10000
19.	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	15000
20.	हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण	20000
21.	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	7500
22.	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	8000
23.	रामपुर विकास प्राधिकरण	1000
24.	रायबरेली विकास प्राधिकरण	8000
25.	उरई विकास प्राधिकरण	8000
26.	बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण	10000
27.	खुर्जा विकास प्राधिकरण	9000
28.	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2500
29.	मिर्जापुर–विन्ध्यांचल विकास प्राधिकरण	1000
30.	बस्ती विकास प्राधिकरण	1000
31.	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5000
32.	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5500
33.	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1000
34.	कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1000
योग		**873500**

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.05.2024 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2024–25 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य की कार्ययोजना जिसमें वृक्षारोपण स्थल का विवरण, जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश एवं देशान्तर) एवं उसका क्षेत्रफल, स्थलवार रोपित किये गये पौधों का विवरण, पौधों की प्राप्ति के लिये श्रोत (पौधशाला चिन्हांकन), पौधरोपण हेतु तैयार किये गये गढ्ढों की सूचना तथा पौधरोपण के क्रियान्वयन हेतु अभिकरणों के उत्तरदायी कार्मिकों के नाम, मोबाइल नम्बर आदि का विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को सीधे उपलब्ध कराते हुये उक्त की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–१२ (1)/आठ–1–24–34बैठक/2017टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Arun Kumar

(अरूण कुमार)

अनु सचिव

GO-S.G-R

476/प्रा6-1-24

संख्या-313/81-5-2024

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35.00 करोड़ पौधरोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के पर्यावरणीय लाभ एवं कृषकों की आय में सतत् वृद्धि के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35.00 करोड़ पौधरोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, मा0 न्यायालय परिसरों/औद्योगिक इकाईयों/सहकारी समितियों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों /निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/ स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, प्राधिकरण आदि/भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों/रेलवे/रक्षा एवं अन्य को सम्बंधित शासकीय विभागों/संस्थाओं के माध्यम से वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध (यूकेलिप्टस एवं पॉपलर को छोड़कर) उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क दिये जाने वाले पौधों का विवरण/लेखा-जोखा एक अलग पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाय तथा रोपित किये जाने वाले पौधों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित कर नियमों/मानकों के अनुसार उनकी जीवितता सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Signed by
Manoj Singh
Date: 27-06-2024 17:22:42
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

.......2/

संख्या-313(1)/81-5-2024, दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव वित्त/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/नियोजन/ राजस्व/आवास/कृषि/ औद्यौगिक विकास /नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम/ पशुपालन/सूचना एवं जनसम्पर्क/ सहकारिता/उद्योग/ ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ श्रम/परिवहन/उद्यान/ स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
5- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
7- सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष, उ0प्र0। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
8- डी0आर0एम0, एन0आर0 एवं एन0ई0आर0, रेलवे विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
9- हेड क्वाटर सेन्ट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
10- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
12- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

नीता चौधरी
संयुक्त सचिव।